(दिल्ली राजपत्र के भाग—IV असाधारण में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (शहरी विकास विभाग)

सं0फा0 :4(4)/आरआर/एलबी/2017/4609-4617 दिनांक: 14/06/2017

अधिसूचना

सं0फा0 :4(4)/आरआर/एलबी/2017/4 60%-461न :- गृह मंत्रालय, भारत सरकार की विनाक 19 अक्टूबर, 1966 की अधिसूचना सं0 एस0ओं0 3159 के साथ पठित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 480 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 98 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी भन्ने दिल्ली के उपराज्यपाल, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व दिल्ली नगर निगम में अधीक्षक (जन स्वास्थ्य) के पद की भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिये निम्निलिखित भर्ती विनियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :-- (1) इन विनियमों को **अधीक्षक (जन स्वास्थ्य)**, भर्ती विनियम,
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर के साथ संबद्ध इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति
- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
- (ख) जिसने जीवित पत्नी / पित के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमित योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।



- 5. छूट प्रदान करने की शक्ति :- जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से तथा सरकार के पूर्व अनुमोदन से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
- 6. बचाव :- इस विनियम में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

for "

अनुसूची

1.	पदनाम			
			:	अधीक्षक (जन स्वास्थ्य)
2.	पदों की संख्या			,
			:	* 3 (2017)
		Í		जिल्ला दिन्सी
	·		i	(उत्तर दिल्ली नगर निगम-01, दक्षिण दिल्ली
		- 1		नगर निगम-01, पूर्व दिल्ली नगर निगम-01
	a-			* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	+	$\cdot \mid$	वर्ग "ख"
			.	पंग ख
		-		
	2 %			
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे /वेतनमान	+	:	1 10 - 2 -
			.	पे मैट्रिक्स में स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-
				9300 - 34800/- रुपये + ग्रेड
			1	4600 / रुपये
	1			
 5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	_		
	ा गर वयन पद	:	=	वयन
	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए			
	अपा न	:	7	नागू नहीं
j	आयु सीमा			6
_	7 2 4			
١	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित	-	+=	गगू नहीं
	शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ		`	7 161
	-		1	
	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु	-	 	
	एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले	•	প	ागू नहीं ।
ł	में भी लागू होगी।			
	611 61411			
	परीतीमा की अच्छि	_		
	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	ला	गू नहीं
	भर्ती की प्रति के			
	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या	:	(i)	66.67 11/2017>-
	पदोन्नित या प्रतिनियुक्ति या विलयन		- -	66.67 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न
Ì	धारा विभन्न पद्धतियों से भरे जाने		٠١٥	^{1 पर प्रातिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संवित्र ।}
-	वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		सर्वि	हैत।
	मा परा परा प्रातशत			
			(ii)	33.33 प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक
			रमं <i>नि</i>	वित्र पहित्। वित्र सहित्।
+-			(110	ן מאות ווציו
	यदि पर्दान्नित / प्रतिनियुक्ति / ः	+,	и)	न्नतिः
1	वलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो रोज		ાપા	THE
f	जेनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /			

for:

विलयन किया जाना है

नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेंड में 5 वर्ष की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर —6(35400—112400) में मुख्य जन स्वास्थ्य निरीक्षक ।

टीप :- जिन किनिष्ट अधिकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नित के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ट अधिकारी भी पदोन्नित के लिए विचारणीय होंगे बशर्त कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा की अविध के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए अपनी परीवीक्षा अविध अपने किनष्ट अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (किनिष्ट अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है (संघ लोक सेवा आयोग से सहमत भर्ती नियमों के अनुसार)।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/ विश्वविद्यालय/ अर्धसरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठन के निम्नलिखित अधिकारी:—

- क. (1) मूल संवर्ग / विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा
- (2) वेतन मैट्रिक्स में स्तर —6 (35400—112400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले
- i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रनातक की उपाधि।
- (ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से सफाई निरीक्षक डिप्लोमा।

Ma

			(iii) सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव
			टीप — 1 : भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी शृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।
			टीप — 2: केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	''ख'' वर्गीय विभागीय पदोन्नित समिति : 1. अपर आयुक्त (स्वास्थ्य) 2. नगर स्वास्थ्य अधिकारी— सदस्य 3. निदेशक कार्मिक — सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	4. अपर उपायुक्त (स्वारथ्य) – सदस्य संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।
L			

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

(पवन चोपड़ा)

उप निदेशक, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सं०फा० :4(4)/आरआर/एलबी/2017/460%-4617

दिनांक: 14-06-2017

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :--

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।

2. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।

- 3. सचिव, मंत्री शहरी विकास / स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
- 4. प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।

5. निदेशक (स्थानीय निकाय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।

6. निगम आयुक्त, उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व, दिल्ली नगर निगम।

- 7. उप-सचिव (सा०प्र०वि०), समन्वय शाखा को दिल्ली राजपत्र भाग-चार असाधारण में आज की तिथि
- 8. प्रोग्रामर, शहरी विकास को स्थानीय निकाय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। 9. गार्ड फाईल।

उप निदेशक, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(TO BE PUBLISHID IN PART-IVOF DELHI GAZETTE) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT)

Dated the 14-06- 2017

Notification

No. F.4(4)/RR/LB/2017/4009-AGN - In exercise of the powers conferred by section 98, read with sub-section (2) of section 480 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) read with Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number S.O. 3159 dated the 19th October, 1966, and after consultation with Union Public Service Commission, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following recruitment regulations for regulating the method of recruitment to the post of **Superintendent (Public Health)** in North, South and East Delhi Municipal Corporations, namely:-

- 1. Short title and commencement.— (1) These Regulations may be called The Superintendent (Public Health) Recruitment Regulations, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
 - 2. Number of posts, classification and pay level in the Pay matrix. The number of the said post, their classification and pay level in the Pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
 - 3 Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - 4. Disqualification. No person, -
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

fir:

Provided that Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulations.

- 5. **Power to relax.** Where the Government of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons or posts.
- 6. Saving. Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

for?

SCHEDULE

•	Superint errotent (Public Health).	3	post	Name
	3' (2017) "Subject to variation dependent on workload. (North DMC - 1 East DMC - 1).	(2)	posc	Number of
	Caregory- B.	(3)	anon	Classific
	Level -7 in the Pay Matrix. (Pre revised Pay Band 2 (Rs.9300 - 34800) plus Grade Pay Rs.4600/-).	(4)	Matrix.	Pay Level
	Selection	(3)	n post or non- selection post	Whether
	applicable.	(6)	recruits.	Age limit
	Not applicable.	(7)	required for direct recruits.	Educational and other
	Not applicable	(8)	educational educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case promotees.	Whether Age and
	applicable.	(9)	if any.	Period of
	bb b/% By promotion failing which by deputation including short-term contract 33.33% By deputation including short-term contract.	(0)	whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	recruitment
till with Five Years Service in the Grade rendered after Appointment thereto on Regular Basis in posts in Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix or Equivalent in the Parent Cadre/Department, and (B)possessing the following Educational Qualification and experience.	From Chief Public Health Inspectors in Level-6 (Rs.35400-112400) in the Pay matrix with five years service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation (including short term contract): Deputation retritories or Public Sector Undertakings or Recognized Research Institutions or Universities or Semi Covernment or S	(11)	from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	promotion/ deputation/ absorption grades
	Departmental Promotion Committee consisting of: 1. Additional Commissioner (Health)- Chairman 2. Municipal Health Officer - Member 3. Director Personnel - Member 4. Additional Deputy Commissioner (Health) - Member - Member	(LZ)	Committee exists what is its composition.	Promotion
	with the Union Public Service Commission necessary.	Consultation	Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	in which



	·····	-	
	<u></u>		
		·····	
			
contact) including period of deputation (including short term contact) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization department of the central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contact) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).	Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: (period of deputation (including short term	Note 1: The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for	(i)Bachelor's Degree from a Recognized University. (It)Sanitary Inspectors Diploma from a recognized Institute. (III)Three years experience in the relevant for the relevant f
uding held held same cocced for term as on	t for term	eder tion for	m a m a

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory Offichi, (‡awan Chopra)
Deputy Director of Local Bodies
Government of National Capital Territory of Delhi

NO.F.400/RR/LB/2017/ AGOS-AGIT

Delhi dated the

14 co 2017.

Copy forwarded to the:-

The Principal Secretary to the Lt. Governor, Delhi.

The Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.

The Secretary to the Minister of Secretary UD/Local Bodies, Govt. of NCT of Delhi.

The Secretary to the Minister of Secretary UD/Local Bodies, Govt. of NCT of Delhi.

The Principal Secretary (L. A&L. A), Govt. of NCT of Delhi.

Director (Local Bodies), Govt. of NCT of Delhi.

Municipal Commissioners, North, south and East Delhi Municipal Corporations.

The Dy. Secretary (GAD), Co-ordination Branch: in duplicate, for the publication in Delhi Gazette, Part-IV Extraordinary of today's date.

Programmer UD to upload in Local Bodies Website.

Guard File.

Pawan Chopra)
Deputy Director of Local Bodies
Government of National Capital Territory of Dethi